<u>कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)</u>

::—— विज्ञप्ति ——::

सर्व साधारण को यथानिर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में स्थित सायकल स्टेण्ड़ की नीलमी दो वर्ष, दिनांक दिनांक 01.02.2018 से 01.02.2020 तक के लिए, **दिनांक 25.01.2018 को दोपहर 2.30 बजे से न्यायालय परिसर अशोकनगर** में की जावेगी अथवा समुचित बोली प्राप्त होने तक नीलामी जारी रहेगी। नीलामी की न्यूनतम बोली रू. 1,28,000 (रू. एक लाख अठ्ठाइस हजार) होगी।

ठेके में नीलाम बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति को 15,000/–रूपये (रू. पन्द्रह हजार) की अग्रिम राशि बोली लगाते समय अमानत के रूप में जमा कराना होगी। बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को ही होगा।

नीलामी के संबंध में आवश्यक शर्ते न्यायालय के नोटिस बोर्ड/नगर के मुख्य चौराहे गांधी पार्क/इन्दिरा पार्क /कुटुम्ब न्यायालय/ उपभोक्ता फोरम/कलेक्ट्रेट कार्यालय/तहसील कार्यालय/जिला अस्पताल परिसर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है तथा न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** पर भी उपब्ध हैं।

18/01/2018

(आनन्द प्रिय राहुल)
अध्यक्ष, कय समिति एंव
प्रथम.अपर जिला न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.

कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)

:: ...साईकिल स्टेण्ड के ठेके संबंध में शर्ते... ::

1. जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में स्थित साईकिल स्टेण्ड़ का ठेका दिनांक 01.02.2018 से 01.02.2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

2. ठेके में नीलाम बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति को 30,000/–रूपये (रू. तीस हजार) की अग्रिम राशि बोली लगाते समय अमानत के रूप में जमा कराना होगी।

3. बोली स्वीकृत होने पर नीलामी बोली की आधी राशि कार्यालय में अमानत की राशि को समायोजित कर तत्काल जमा कराना होगी एवं रसीद प्राप्त करना होगी। शेष आधी राशि 06 माह में जमा कराना होगी। राशि जमा न होने की दशा में ठेके की अमानत राशि राजसात हो जावेगी।

4. सायकल स्टेण्ड़ का समय प्रातः 9.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक रहेगा।

5. न्यायालीन कर्मचारीगण साईकिल स्टेण्ड़ के शुल्क से मुक्त रहेंगे। अभिभाषकगण, पिटिसन राईटर द्वारा स्टेण्ड़ पर वाहन रखे जाने पर प्रतिमाह निम्नानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा :–

01	कार	50/– रूपये प्रतिमाह
02	स्कूटर/ मोटर सायकल	25/– रूपये प्रतिमाह
03	साईकल	15/– रूपये प्रतिमाह

6. न्यायालय परिसर में सामान्य–जन द्वारा साईकिल स्टेण्ड पर वाहन रखने पर ठेकेदार द्वारा कूपन दिया जाएगा। किसी भी वाहन के गुम होने पर उसका उत्तर दायित्व ठेकेदार का होगा।

6. स्वच्छता का भी ठेकेदार को ध्यान रखना होगा, जिस हेतु वाहन स्टेण्ड पर डस्टबिन आदि की व्यवस्था करना होगी।

7. कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल पर ही वाहन रखे जाना अनिवार्य होगा तथा अन्य स्थल पर वाहन रखे पाए जाने पर ठेक ा निरस्त कर दिया जावेगा।

8. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं ठेके की

राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. साईकिल स्टेण्ड़ पर रेट लिस्ट बोर्ड पर साफ–साफ अक्षरों में दर्शाई जावे।

10. यदि ठेकेदार ठेके को समाप्त करना चाहता है तो, वह एक माह पूर्व ऐसी लिखित सूचना संस्था को देकर और संस्था द्वारा उसे अनुमोदित कर दिए जाने पर अपना ठेका समाप्त कर सकेगा और उसके द्वारा अग्रिम के रूप में जमा कराई गई राशि संस्था द्वारा उसे विधिवत लौटा दी जावेगी।

10. किसी भी विवाद की दशा में अंतिम निर्णय संस्था का होगा ।

18/01/2018

((आनन्द प्रिय राहुल)
अध्यक्ष, कय समिति एवं
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.